भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: *287
07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत वित्तीय संवितरण

***287. श्री राजेश वर्मा:**
डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत राज्य-वार कितनी प्रचालनात्मक प्रगति की गई है और कितना वित्तीय संवितरण किया गया है;

(ख) विगत एक वर्ष के दौरान देशभर में कुल कितने आयुष्मान कार्ड सृजित किए गए हैं और कैशलेस व्यवस्था के अंतर्गत कुल कितने मरीज अस्पताल में भर्ती हुए हैं;

(ग) देश में पैनलबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत किए गए चिकित्सा दावों के निपटान के लिए राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों को कुल कितनी केंद्रीय धनराशि जारी की गई है;

(घ) क्या सरकार ने देशभर में कार्यरत निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा कपटपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किए जाने वाले चिकित्सा दावों अथवा अनधिकृत बिलिंग से संबंधित मामलों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देशभर में चूककर्ता अस्पतालों को पैनल से हटाने और दुरुपयोग की गई धनराशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से सख्त विनियामक और दंडात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ङ): विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 07 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 287 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) भारत की आर्थिक रूप से सबसे निचली 40% आबादी को द्वितीयक और विशिष्ट परिचर्या अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का कैशलेस स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है। यह योजना सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू की गई है और कई राज्य इसे अपनी-अपनी स्वास्थ्य योजनाओं के साथ जोड़ रहे हैं।

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत निम्नलिखित परिचालनत्मक प्रगति हासिल की गई:

- पात्र लाभार्थियों के लिए कुल 3.75 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए।
- कुल 2.74 करोड़ अस्पताल - भर्तियों को अधिकृत किया गया।
- कुल 5,074 अस्पतालों को पैनलबद्ध किया गया।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 8,438.27 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई।

एबी-पीएमजेवाई का वित्तपोषण पूरी तरह से मांग-आधारित होता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) पूर्व में जारी निधियों के उपयोग प्रमाण-पत्रों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांग के आधार पर योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करता है।

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान योजना के अंतर्गत संचालनात्मक प्रगति और जारी किए गए केंद्रीय अंश निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण, साथ ही वित्त वर्ष 2018–19 में इसके आरंभ से 2026–27 तक (31.07.2026 तक) जारी कुल निधियाँ **अनुलग्नक** में दी गई हैं।

एबी-पीएमजेएवाई धोखाधड़ी के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय धोखाधड़ी-रोधी इकाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग-आधारित स्वचालित ट्रिगर्स का उपयोग करके अनधिकृत बिलिंग, डुप्लिकेट प्रविष्टियाँ, बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई गई प्रक्रियाओं या रोगियों की पहचान के दुरुपयोग आदि जैसे असामान्य दावा पैटर्न का पता लगाती है।

दावे प्रस्तुत किए जाने के 24 घंटों के भीतर धोखाधड़ी का पता लगाने के सभी ट्रिगर्स संचालित किए जाते हैं, और दावों के भुगतान से पहले इन ट्रिगर्स के माध्यम से चिह्नित संदिग्ध दावों की जांच की जाती है। जांच के बाद जिन दावों में धोखाधड़ी पाई जाती है, उनका भुगतान नहीं किया जाता। इस तंत्र से दावों की भुगतान-पूर्व जांच मजबूत हुई है जिसके परिणामस्वरूप 31.07.2026 तक ₹676.14 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

इसके अतिरिक्त, योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने में संलिप्त पाए गए अस्पतालों के खिलाफ निलंबन, पैनल से हटाने, जुर्माना लगाने, एफआईआर दर्ज करने आदि सहित समुचित कार्रवाई की जाती है।

दिनांक 31.05.2026 की स्थिति के अनुसार, योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर कुल 2,359 अस्पतालों को पैनल से हटाया गया है, 1,200 अस्पतालों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निलंबित किया गया है, 29 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 328.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बनाए गए आयुष्मान कार्ड, प्राधिकृत अस्पताल भर्तियां और वित्त वर्ष 20218-19 से वित्त वर्ष 2026-27 तक जारी केंद्रीय धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या (लाख में)	वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्राधिकृत अस्पताल भर्तियों की संख्या (लाख में)	जारी की गई केंद्रीय धनराशि (रुपये करोड़ में)	
			2025-26 के दौरान	2018–19 से 2026–27 तक*
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.05	0.01	1.45	6.72
आंध्र प्रदेश	31.08	21.50	505.45	3047.22
अरुणाचल प्रदेश	0.18	0.07	10.60	29.76
असम	3.42	5.35	301.86	1573.02
बिहार	45.10	13.72	808.62	2267.31
चंडीगढ़	0.15	0.30	10.15	48.22
छत्तीसगढ़	14.52	15.23	284.08	1975.84
दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	0.09	0.23	5.35	35.35
दिल्ली	7.50	0.37	59.25	59.25
गोवा	0.11	0.13	4.07	7.93
गुजरात	34.80	16.10	540.62	2548.03
हरियाणा	8.45	11.59	131.46	793.62
हिमाचल प्रदेश	0.73	1.18	58.62	361.31
जम्मू और कश्मीर	2.97	4.08	96.58	430.74
झारखंड	13.43	4.66	265.90	1095.83
कर्नाटक	5.69	30.10	549.83	3237.68
केरल	3.06	9.88	173.26	1153.94

लद्दाख	0.09	0.12	2.33	11.48
लक्षद्वीप	0.02	0.01	0.46	0.99
मध्य प्रदेश	20.68	19.56	772.53	3812.39
महाराष्ट्र	86.01	16.55	736.45	3631.00
मणिपुर	0.56	1.05	34.40	211.78
मेघालय	0.96	2.71	41.10	288.72
मिजोरम	0.21	0.39	23.32	168.79
नागालैंड	0.51	0.32	25.54	157.57
ओडिशा	8.07	14.68	464.92	814.48
पुदुच्चेरी	0.26	0.59	8.02	34.49
पंजाब	23.44	7.92	214.42	691.10
राजस्थान	5.19	19.21	450.27	2563.15
सिक्किम	0.14	0.16	6.13	26.30
तमिलनाडु	6.07	12.32	452.46	3335.13
तेलंगाना	0.15	7.44	230.34	917.91
त्रिपुरा	1.73	1.72	54.58	322.79
उत्तर प्रदेश	46.38	30.64	1047.53	4468.61
उत्तराखंड	3.56	4.34	66.32	443.88

* 31.07.2026 की स्थिति के अनुसार
